न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी
पिठासीन अधिकारी :— अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 125/2023
Gcms no. 2018/00003

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
1. करनाराम पुत्र अणदाराम जाति मेगवाल, निवासी बेदु कंला, तहसील बापीणी जिला फलोदी।		1. पेमाराम पुत्र भुराराम 2. आदुराम पुत्र भुराराम 3. रूपाराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी बेदु कंला, तहसील बापीणी जिला फलोदी। 4. चैनाराम पुत्र आदुराम 5. धन्नाराम पुत्र पोकरराम 6. पीथाराम पुत्र पोकरराम 7. खमुराम पुत्र पोकरराम 8. लुम्बाराम पुत्र पोकरराम 9. भैराराम पुत्र मानाराम 10. चन्द्राराम पुत्र मानाराम 11. जेठाराम पुत्र मानाराम 12. नारायणराम पुत्र मानाराम फौत के कायम मुकाम :— 12.1. ओमाराम पुत्र नारायणराम 12.2. मगाराम पुत्र नारायणराम 12.3. सांगाराम पुत्र नारायणराम 13. लुम्बाराम उर्फ लुणाराम पुत्र भागु 14. शेराराम पुत्र भागुराम सभी जाति मेघवाल निवासी बेदु कल्लां तहसील बापिणी जिला फलौदी।

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :—
अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री विक्रमसिंह भाटी।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण :— कोई नहीं।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 12/11/2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :— प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम वेदु कल्ला के खसरा नम्बर 53 रकबा 3.8769 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 52 रकबा 0.5666 हैक्टेयर की भुमि स्थित है तथा प्रार्थी की उक्त खसरे की भूमि व आम रास्ता के बिच में खेत खसरा नम्बर 65/3, 60/8, 60, 58 व 56 के पडौसी खातेदार अप्रार्थीगणों की खातेदारी जमीन आई हुई है। जिसके बाद डामर सडंक आयी हुई हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 53 में आवागमन के लिए कोई

ास्ता नहीं होने से प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की खातेदारी में से रास्ता प्रार्थी के नाम की ज़मीन तक राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थीगण ा रास्ता दिये जाने इन्कार कर दिया। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया ाया। अप्रार्थीगण को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण को भेजे गये समन ी डाक रसीद न्यायालय में पेश की। जो शामिल मिसल की गयी। अप्रार्थीगणों को ो सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर देने के बावजुद कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके ारूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

हस्तगत प्रकरण में भु–अभिलेख निरीक्षक मतौडा से मौका जांच रिपोर्ट तलबी ी गयी। अप्रार्थीगण को सुनवाई के लिए लम्बा समय एंव प्रर्याप्त अवसर दिये जाने बावजूद उपस्थित होने व जवाब पेश करने में असफल रहे ओर अनुपस्थित रहने से प्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। भु–अभिलेख निरीक्षक ी तरफ से फर्द मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तथा का जांच रिपोर्ट दिनांक 19.07.2024 में प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए खसरा नम्बर ;, 58, 60, 60/8, 65/3, 59 के नजरी नक्शें में रास्ता प्रदर्श बिन्दु ए से एल तक म्बा 15 फीट चौडा मार्ग रिपोर्ट में प्रस्तावित किया हैं। और इसके अलावा दुसरा कोई कल्पिक रास्ता नहीं हैं।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के ान् को दौहराते हुऐ अपने खेत तक आवागमन के लिए रास्ते की आवश्यकता बताते ् मौका रिपोर्ट का सर्मथन किया। प्रार्थी के आवागमन के लिए निकटतम और लघुतम कल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरों में से मार्ग बिन्दु से एल पर दिया जाना उचित बताया हैं और वर्तमान मौके पर रास्ता चालु हैं अतेव र्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उभयपक्ष अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि अपनी खातेदारी भूमि में ावागमन का कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा रास्ता नहीं ने से अप्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने का आग्राह किया। लेकिन अप्रार्थीगण ने इन्कार र दिया। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के लिए डामर सडक से अप्रार्थीगणों मे में से ही निकटतम रास्ता पड़ता है। प्रार्थी को भूमि में आवागमन के लिए भारी मस्याओ का सामना करना पड़ता है। तथा मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी को ावागमन के लिए रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से सर्वाधिक निजदीक एंव उपयोगी गा। ओर प्रस्तावित रास्ते के अलावा दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। लिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता मन्जुर किया ावें।

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस में हुऐ तर्क–वितर्क को ानपूर्वक सुना उन पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अध्ययन एवं रिकार्ड पर ई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन से प्रार्थी को म सडक मार्ग से प्रार्थी की खतेदारी भुमि खसरा नम्बर 53 के बिच में खेत खसरा बर 56, 58, 60, 60/8, 65/3 में से आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की त्यधिक आवश्यकता है। तथा मौका जांच भु–अभिलेख निरीक्षक मतौडा की रिपोर्ट के ुसार प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन के लिए भुमि सर्वाधिक निकटतम व्यवहारिक स्ता पाया है। अतेव इस न्यायालय मतानुसार प्रार्थी के आवागमन के लिए मौका जांच पोर्ट दिनांक 19.07.2024 में प्रस्तावित रास्ता सर्वाधिक उपयुक्त पाया है ओर प्रार्थी को

कलेक्टर बापिणी

ास्ता की अति आवश्यकता है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बेदु कल्ला में स्थित प्रार्थी के ्सरा नम्बर 53, 52 में आवागमन के लिए आम डामर सडक के बिच में अप्रार्थीगण ो खातेदारी भुमि खेत खसरा नम्बर 56 में से रकबा 0.0920 हैक्टेयर भुमि बिन्दु ए–बी, ासरा नम्बर 58 में से रकबा 0.2025 हैक्टेयर भुमि बिन्दु बी–सी व सी–डी, खसरा ्बर 59 में से रकबा 0.0482 हैक्टेयर भुमि बिन्दु आई–जे, खसरा नम्बर 60 में से ्कबा 0.0192 हैक्टेयर भुमि बिन्दु डी–ई व के–एल, खसरा नम्बर 60/8 में से रकबा 0548 हैक्टेयर भुमि बिन्दु ई–एफ, व एल–एम, खसरा नम्बर 65/3 में से रकबा 0. 731 हैक्टेयर भुमि बिन्दु एफ–जी, जी–एच व एम–एन तक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक .07.2024 के अनुसार फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शाये मार्क ए से एन तक लम्बा रास्ता प्रार्थीगण की जमीन में से 15 चौडा रास्ते में काम आने वाली जमीन की किमत ्रलित डिएलसी राशि की दुगनी राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत कर मार्ग दिया जाने ा प्रार्थना पत्र मंजुर किया जाता है। तहसीलदार बापिणी को आदेश दिया जाता है। ़ दिनांक 19.07.2024 की फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शाये मार्क ए से एन बिन्दु तक 15 ाट चौड़ाई के अनुसार उक्त रास्तें में काटे जाने वाले रकबा 0.4934 हैक्टेयर जमीन ा वर्तमान डीएलसी राशि की दुगनी राशि की गणना के बाद में प्रार्थी द्वारा अदा कर ये जाने के पश्चात् अप्रार्थीगणों के खसरों में से रकबा कम किया जाकर रास्तें का कन राजस्व रेकॉर्ड में राज हक में किया जावें एवं नक्शा में दर्शाये बिन्दु ए से एन स्ते की तरमीम की जावें। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2024 इस निर्णय का भाग गा। तहसीलदार बापिणी को निर्णय पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपजिला मजिस्ट्रेट बापिणी

अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बापिणी
जिला फलौदी